न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 90/23 (वाद)

GCMS No. : 2023/288

अनवान

1. श्री बाबुलाल पिता रूपा गुर्जर निवासी माण्डुथल तह. मावली।
2. श्रीमती गोपीबाई पत्नी रूपा गुर्जर निवासी माण्डुथल तह. मावली।

............वादीगण

बनाम्

1. श्रीमती लेहरी पत्नी जालु गुर्जर निवासी माण्डुथल तह. मावली।
2. श्री मुकेश पिता जालु गुर्जर निवासी माण्डुथल तह. मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का सिन्दू तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री हिरालाल सालवी, अधिवक्ता वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 20.11.2024

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा माण्डुथल पटवार हल्का सिन्दू की आराजी नम्बर 1259/560, 1263/104, 680, 681, 682 किता 5 रकबा 2.3441 हेक्टेयर उपरोक्त वर्णित आराजीयात में वादीगण के नाम पर संयुक्त खातेदारी हक से वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है।
2. यह कि वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण के संयुक्त खातेदारी की होकर संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे हैं परन्तु प्रतिवादी संख्या 1, 2 वादीगण को नुकसान पहुंचाने की गरज से नाजायज तरीके से हर तरह से हेरान व परेशान करते हुये वादीगण को काश्त नहीं करने दे रहे है और वादीगण के उपयोग उपभोग में भी बाधा उत्पन्न कर रहे है और येन केन प्रकारेण वादीगण को अपने हिस्से से मेहरूम रखना चाहते हुए प्रतिवादी संख्या 1, 2 वादग्रस्त आराजीयात को अजनबी व्यक्तियों को लाकर जबरदस्ती खेतो में हस्तक्षेप करते हुए कब्जा करने को उतारू हो रहे [illegible] प्रतिवादी संख्या 1, 2 को ऐसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:49:24 IST
Reason: SelfAttested

नहीं करने बाबत् अनेक बार अनुनय विनय किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1, 2 नहीं मेरे घर पर आये और कहा कि तुम्हारी यहां कोई जमीन नहीं है यहां से निकल जाओ नहीं तो तुम्हे यहां नहीं रहने देगें।

3. यह कि चूंकि पूर्व रेवेन्यु रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम पर जमीन हिस्से अनुसार दर्ज थी जिसका आप न्यायालय से विधिवत् बंटवाडा हेतु एक वाद आप श्रीमान् न्यायालय में पेश किया जिसके प्रकरण संख्या 75/21 वाद श्री बाबुलाल बनाम लेहरीबाई वगैरा में दिनांक 15.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 को प्रतिवादी की सहमति से हिस्से एवं कब्जे के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री का आदेश प्रदान किया उसके बाद तहसीलदार मावली एवं भू. अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का सिन्दू द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का हिस्से कब्जानुसार बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर श्रीमान् न्यायालय में प्रस्तुत किया और बंटवारा प्रस्ताव अनुसार ही अन्तिम डिक्री जारी कर तहसीलदार मावली को पालना हेतु आदेशित किया जिस पर तहसीलदार मावली व पटवारी हल्का सिन्दू द्वारा अंतिम डिक्री व बंटवाडा अनुसार ही हम वादीगण ने कब्जा प्राप्त किया है अब प्रतिवादी संख्या 1, 2 भू–माफियों से मिलकर हम वादीगण के कब्जे काश्त की अच्छी जमीन को अपनी बताकर अन्य लोगों को बेचने पर उतारू है व ऐलानिया धमकी दे रहे है कि हम हमारे हिस्से को बेच देगे और तुमको काश्त नहीं करने देगे। इसलिए हम वादीगण प्रतिवादी संख्या 1, 2 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के अधिकारी है कि वादग्रस्त आराजीयात पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं करे, तारबन्दी नहीं करे, पत्थर नहीं डलवावें, शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

4. यह कि हम वादीगण का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है क्योंकि उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित एवं संयुक्त रूप से भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है इसलिए हम वादीगण प्रतिवादी संख्या 1, 2 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के अधिकारी है कि वादग्रस्त आराजीयात पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं करे, तारबन्दी नहीं करे, पत्थर नहीं डलवावें, शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे तब तक प्रतिवादी संख्या 1, 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादीगण 1, 2 वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:49:24 IST
Reason: SelfAttested

करने देवे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे। मौके की एवं रेवेन्यु रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की प्रतिवादी संख्या 1, 2 को कोई क्षति या असुविधा नहीं होगी बल्कि प्रतिवादी संख्या 1, 2 वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा कर लेगे तो वादीगण को भारी अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू भी हम वादीगण के पक्ष में हैं।

5. यह कि दिनांक 20.06.2023 को प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने ऐलानिया धमकी दी कि हम वादीगण को सही से काश्त नहीं करने देगे और जमीन पर कब्जा करके रहेगे हम वादीगण के मना करने पर भी कब्जा करने को उतारू है इसलिए वाद कारण दिनांक 20.06.2023 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
6. अन्त में निवेदन किया कि हम वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वादपत्र में वर्णित आराजीयात वादीगण के नाम पर संयुक्त स्वामित्व एवं खातेदारी की है उस पर प्रतिवादी संख्या 1, 2 हम वादीगण के हिस्से व कब्जे भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे। इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, मौका की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त कार्य न स्वयं करे न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे एवं ताफैसला प्रतिवादीगण 3, 4 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे किसी प्रकार का परिवर्तन राजस्व रेकार्ड में नहीं करें। दोराने वाद यदि प्रतिवादी संख्या 1, 2 वादीगण की भूमि के आंशिक या पूर्ण हिस्से पर कब्जा कर लेवे तो वादीगण को पुनः कब्जा सिपूर्द करावें। अन्य दादरसी वादीगण कानूनन जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 209 के अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी हो वह प्रदान कराई जावें।
7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर पूर्व में इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
8. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:49:24 IST
Reason: SelfAttested

9. हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा माण्डुथल पटवार हल्का सिन्दू तह. मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 176 पर दर्ज आराजी नम्बर 1259/560, 1263/104, 680, 681, 682 किता 5 कुल रकबा 2.3441 हेक्टेयर भूमि वादीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज हैं। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। वादीगण का मुख्य रूप से कथन है कि प्रतिवादीगण हम वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि को हडपने की नियत से नाजायज रूप से हम वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं। न्यायालय का विनम्रता पूर्वक अभिमत है कि मौजा माण्डुथल पटवार हल्का सिन्दू तह. मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 176 पर दर्ज आराजी नम्बर 1259/560, 1263/104, 680, 681, 682 किता 5 कुल रकबा 2.3441 हेक्टेयर के अनुसार वादीगण रेकार्डेड खातेदार हैं। रेकार्डेड खातेदार के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं हैं। क्योंकि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं साथ ही न्यायालय का यह भी अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जा हो, इस सम्बन्ध में वादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है यदि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा हो तो वादीगण कब्जा प्राप्त करने के लिए इस वाद के तहत् अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। इसके लिए वादीगण सक्षम न्यायालय में प्रकरण दर्ज करा अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र हैं। अतः उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा माण्डुथल पटवार हल्का सिन्दू तह. मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 176 पर दर्ज आराजी नम्बर 1259/560, 1263/104, 680, 681, 682 किता 5 कुल रकबा 2.3441 हेक्टेयर भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:49:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करें साथ ही यदि कब्जा प्रतिवादीगण का है तो वादीगण, प्रतिवादीगण को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। कब्जे सम्बन्धित अधिकार हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकते हैं। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:49:24 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री बाबुलाल पिता रूपा गुर्जर निवासी माण्डुथल तह. मावली।
2. श्रीमती गोपीबाई पत्नी रूपा गुर्जर निवासी माण्डुथल तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्रीमती लेहरी पत्नी जालु गुर्जर निवासी माण्डुथल तह. मावली।
2. श्री मुकेश पिता जालु गुर्जर निवासी माण्डुथल तह. मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का सिन्दू तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 90/23 (वाद)

GCMS No. : 2023/288

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा माण्डुथल पटवार हल्का सिन्दू तह. मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 176 पर दर्ज आराजी नम्बर 1259/560, 1263/104, 680, 681, 682 किता 5 कुल रकबा 2.3441 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करें साथ ही यदि कब्जा प्रतिवादीगण का है तो वादीगण, प्रतिवादीगण को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। कब्जे सम्बन्धित अधिकार हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकते हैं। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 20.11.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:49:24 IST
Reason: SelfAttested